माननीय न्यायमूर्ति जी. आर. मजीठिया और एस. के. जैन के समक्ष,

कैप. कंवलजीत सिंह और अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य-उत्तरदाता।

1992 की सिविल रिट याचिका सं **14327**

27 जनवरी, **1994**

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226/227 आवश्यक वाणिज्य अधिनियम 1955-दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश 1992-दुग्ध और मिल्स उत्पाद शब्द कृषि के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 सूची 2 के अंतर्गत आते हैं और केवल राज्य सरकार को नियंत्रण आदेश जारी करने की शक्ति थी-प्रश्नगत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेश की वैधता।

अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों के संबंध में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 246 इस प्रकार हैः-"246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय।

(1) खंड (2) और (3) में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची I में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान-मंडल को भी सातवीं अनुसूची (इस संविधान में 'समवर्ती अंतिम' के रूप में निर्दिष्ट) की सूची III में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए किसी भी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची (संविधान में, जिसे 'राज्य सूची' कहा गया है) में सूची-2 में प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(4) संसद को भारत के क्षेत्र के किसी भी भाग के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो शामिल नहीं है। किसी राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसा मामला राज्य सूची में गिना गया विषय है।

संक्षेप में, अनुच्छेद का सार यह है कि संसद के पास सूची I के मामलों के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण और अन्य शक्ति है और सूची III के मामलों के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है। दूसरी ओर, राज्य विधानमंडल के पास सूची I और III में आने वाले मामलों को छोड़कर सूची II के मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है और सूची III में शामिल मामलों के संबंध में समवर्ती शक्ति है। केंद्र सरकार विवादित नियंत्रण आदेश जारी करने में सक्षम थी।

(पैरा 10)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता के. एस. बख्शी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एम. एस. खैरा।

पी. एस. पटवालिया, अधिवक्ता, जोड़े गए उत्तरदाताओं के लिए।

एस. के. पीपत, डी. डी. शर्मा के साथ वरिष्ठ स्थायी वकील। प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति जी आर मजीठिया,

(1) याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (पशु विभाग) द्वारा जारी दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 (संक्षेप में, नियंत्रण आदेश) का विरोध किया है। पशुपालन और डेयरी विभाग, नई दिल्ली, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए- जो की अधिसूचना संख्या एस ओ 405 (ई) , भारत के राजपत्र में प्रकाशित असाधारण, भाग-II, धारा 3, उपधारा (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन दिनांक 9 जून, 1992, में प्रकाशित।

(2) नियंत्रण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि (कृषि)भारत के संविधान की अनुसूची VII की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 14 में है, डेयरी' कृषि में शामिल है और इस प्रकार, यह वह राज्य है जो पंजाब राज्य द्वारा प्रशासित भौगोलिक क्षेत्रों में दूध के उत्पादन और बिक्री से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है। याचिकाकर्ताओं के अपनी पसंद के खरीदारों को अपना दूध बेचने के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र में एक से अधिक व्यक्तियों को खरीद इकाई स्थापित करने की अनुमति नहीं देकर कम कर दिया गया है जिसे "मिल्क-शेड" कहा जाता है। डेयरी किसानों से खरीदे गए दूध की कीमत महानगरों के साथ-साथ अन्य शहरी क्षेत्रों में दूध के बिक्री मूल्य की तुलना में कम है। पंजाब में डेयरी किसानों को दिए जाने वाले दूध की कीमत के मुकाबले दिल्ली में यह 7 रुपये प्रति लीटर है और पंजाब में 3-50 रुपये प्रति लीटर। अन्य सभी उद्योगों का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। कुछ अक्षम और भ्रष्ट सहकारी प्रशासकों के साथ-साथ पसंदीदा डेयरी उद्योगों के लाभ के लिए डेयरी उद्योग के साथ-साथ डेयरी उद्योग का गला घोंटा जा रहा है।

(3) उत्तरदाताओं की ओर से एक अलग लिखित बयान नं 1 और 2 और दूसरा प्रत्यर्थी नं. 3 दर्ज किए गए हैं। यह प्रस्ताव सं. की ओर से दायर लिखित बयान में कहा गया है। 1 और 2 कि शुरू में दूध व्यापारियों, दूध उत्पाद निर्माताओं और बिचौलियों के लिए पूरा विचार उपभोक्ताओं के साथ-साथ उत्पादकों की लागत पर लाभ कमाना था और दूध उत्पादन में फ्लश सत्र और लीन सत्र होता है। पहला सर्दियों में और दूसरा गर्मियों में होता है। डेयरी किसानों की बाजार तक पहुंच नहीं थी और दूध उत्पादों के व्यापारियों और निर्माताओं ने फ्लश सत्रों में दूध की आपूर्ति बढ़ने और कम सत्र में कम होने के बारे में संबंधित स्थितियों का फायदा उठाते हुए अपने लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाया। इस पृष्ठभूमि में, दूध के उत्पादन और आपूर्ति के मामले में सभी स्तरों पर शोषण को समाप्त करने के लिए दूध उत्पादकों के बीच सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना आवश्यक था। डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना सरकार की एक सचेत और सुविचारित नीति रही है। इसके बाद सहकारी आंदोलन "बाढ़ कार्यक्रम" के तहत देश भर में फैल गया, जिसने किसान सहकारी समितियों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और सहायता सेवाएं प्रदान कीं और उनकी आर्थिक स्थितियों में काफी सुधार हुआ। डेयरी सहकारी समितियों ने वास्तव में ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार किया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम अपने ग्रामीण सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को न केवल उनकी उपज के लिए एक सुनिश्चित बाजार प्रदान करता है, बल्कि यह इनपुट और महत्वपूर्ण तकनीक की आपूर्ति के लिए एक वाहन के रूप में भी काम करता है, जो छोटे और सीमांत किसानों द्वारा दूध के अनिश्चित उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। सहकारी समितियों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, जैविक और प्राकृतिक कारकों के कारण कमजोर सत्र (मई से अगस्त) में दूध की कमी बनी हुई है और राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत दूध उत्पादों के निर्माण और राज्य के बाहर दूध के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा इससे निपटती रही है, राष्ट्रीय दुग्ध आदेश के अस्तित्व में आने के साथ, यह आदेश समग्र रूप से भारत में लागू होना आवश्यक हो

गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तरल दूध के अधिक लाभदायक उत्पादों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन से दूध की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसलिए, प्राकृतिक दूध और दूध उत्पाद पंजीकरण, मानक, स्वच्छता आदि के प्रावधान आदेश के नियामक उपायों को सार्वजनिक हित में आवश्यक पाया गया। नियंत्रण आदेश के तहत सभी (सहकारी क्षेत्र और सरकारी डेयरियों सहित) पर समान रूप से लागू किया जाता है। नियंत्रण आदेश का उद्देश्य पूरे देश में दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करना है ताकि आम जनता के लिए तरल दूध के सूरज की रोशनी को बनाए रखा जा सके और बढ़ाया जा सके। नियंत्रण आदेश केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो प्रति दिन 10,000 लीटर से अधिक दूध या प्रति वर्ष 300 टन से अधिक दूध ठोस वाले दूध उत्पादों को संभालते हैं या संभालने के लिए सुसज्जित हैं। नियंत्रण आदेश दूध उत्पादकों को केवल एक विशेष वर्ग को दूध बेचने के लिए मजबूर नहीं करता है। दूध के खरीदार जो नियंत्रण आदेश के दायरे में नहीं आते हैं, वे किसी भी क्षेत्र या अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से दूध खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। देश में कोई भी व्यक्तिगत दूध उत्पादक नहीं है जो प्रति दिन 10,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन करता है। नियंत्रण आदेश दूध और दूध उत्पादों के व्यवसाय में एक व्यक्ति के लिए एकाधिकार पैदा करने का प्रयास नहीं करता है। दूध की खरीद के संबंध में पंजीकरण और परिणामी नियंत्रण की आवश्यकता केवल बड़ी इकाइयों तक ही सीमित है। बड़ी इकाइयों यानी के पंजीकरण की आवश्यकता को निर्धारित करने में तर्क है। ऐसी इकाइयाँ जिनकी दूध को संभालने की स्थापित क्षमता प्रति दिन 10,000 लीटर से अधिक है या 500 टन वार्षिक से अधिक ठोस दूध उत्पादों की है। बड़े पैमाने पर दूध की खरीद या खरीद के लिए 'मिल्क शेड' के रूप में जानी जाने वाली भौगोलिक स्थिति का सीमांकन, जो इसे मूल्य वर्धित दूध उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, उस क्षेत्र से तरल दूध की आपूर्ति को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है। दूध के शेड आम तौर पर आस-पास के क्षेत्रों में होंगे जहाँ इकाइयाँ स्थित हैं और इसलिए, उस क्षेत्र में दूध के उत्पादन के विकास में इकाई मालिकों को शामिल करना आवश्यक होगा। सीमांकित दूध शेड क्षेत्रों वाली इकाइयाँ उत्पादकों का दोहन नहीं कर सकेंगी क्योंकि वे बिना अनुमति के अपने दूध शेड क्षेत्रों से तरल दूध लाने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। नियंत्रण आदेश के तहत, दूध उत्पादक दूध घर के अंदर और/या बाहर किसी को भी दूध बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सहायकों पर सहकारी समितियों का सदस्य बनने की भी कोई बाध्यता नहीं है।

(4) नियंत्रण आदेश जारी किया गया प्रवेश के तहत)33 (क) संविधान की सातवीं अनुसूची की जोफ लिस (समवर्ती सूची)। नियंत्रण आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगाः - "1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और शुरुआतः -

(1) इस आदेश को दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 कहा जा सकता है।

(2) यह पूरे भारत में फैला हुआ है।

(3) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. परिभाषाएँः -इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकताएं न होंः-(ए) 'अधिनियम' से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10)

(एफ) 'मिल' का अर्थ है गाय, भैंस, भेड़, बकरी या उसके मिश्रण का दूध, या तो कच्चा या किसी भी तरह से संसाधित और इसमें पाश्चराइज्ड, स्टरलाइज्ड, रीकॉम्बिनड, फ्लेवर्ड, एसिडिफाइड, स्किम्ड, टोन्ड, डबल टोन्ड, मानकीकृत या फुल क्रीम दूध शामिल है।

(छ) 'दुग्ध उत्पाद' का अर्थ क्रीम, मलाई, दही, दही है। स्किम्ड दूध दही, श्रीखंड, पनीर या चना, स्किम्ड दूध पनीर या स्किम्ड दूध चना पनीर प्रसंस्कृत पनीर और पनीर स्प्रेड, आइसक्रीम, दूध के बर्फ, संघनित दूध (मीठा और बिना मीठा) संघनित स्किम्ड दूध (मीठा और बिना मीठा) पूरे दूध का पाउडर, स्किम्ड दूध पाउडर, आंशिक रूप से स्किम्ड दूध पाउडर, खोया, रबड़ी, कुलफा, कुल्फी, कैसिइन, शिशु दूध का भोजन, टेबल बटर, देसी मक्खन, घी या मक्खन का तेल और इसमें शुष्क वजन के आधार पर दूध के ठोस पदार्थों (अतिरिक्त शर्करा को छोड़कर) या केंद्रीय सरकार द्वारा उत्पाद के रूप में घोषित कोई अन्य पदार्थ शामिल है।

"(ज)" "दुग्धशाला" "से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक द्वारा दुग्ध या दुग्ध उत्पाद के संग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा भौगोलिक रूप से सीमांकित क्षेत्र अभिप्रेत है; (i)" "दुग्ध उत्पाद" "से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो गाय, भैंस, भेड़ या बकरी का स्वामित्व रखता है या रखता है या अन्यथा उसका विक्रय के लिए या उसके किसी दुग्ध उत्पाद में रूपांतरण के लिए दुग्ध उत्पादन के लिए नियंत्रण रखता है;"

5. पंजीकरणः -

(1) इस आदेश के प्रारंभ होने की तारीख को और उसके बाद से, कोई भी व्यक्ति दूध या किसी दूध उत्पाद का निर्माण या व्यवसाय नहीं करेगा और न ही व्यवसाय के लिए कोई विनिर्माण सुविधा बनाएगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विनियामक प्राधिकरण को निर्धारित शुल्क के साथ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में ऐसे प्रारंभ से नब्बे दिनों के भीतर आवेदन नहीं किया है।

(2) उपपैरा (1) में अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो संभालता है या संभालने के लिए सुसज्जित है, या जिसके स्वामित्व या नियंत्रण में प्रतिष्ठान या इकाई है (या जहां उसके पास एक से अधिक प्रतिष्ठान हैं, सभी प्रतिष्ठानों को मिलाकर) प्रति दिन दस हजार लीटर से अधिक दूध संभालने की स्थापित क्षमता, या प्रति वर्ष पाँच सौ टन से अधिक दूध ठोस वाले दूध उत्पाद।

6. पंजीकरण और नवीनीकरणः-(1) इस आदेश के तहत जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगा

10. दूध या दूध उत्पाद का उत्पादन या संचालनः-(1) इस आदेश के प्रारंभ पर या उसके बाद, कोई भी व्यक्ति जिसे इस आदेश के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट क्षमता से अधिक दूध या दूध उत्पाद की किसी भी वस्तु का संचालन, उत्पादन या सौदा नहीं करेगा या पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दूध शेड क्षेत्र के बाहर से दूध एकत्र करेगा, जब तक कि वह ऐसा करने के लिए नियंत्रक का पूर्व निर्देश प्राप्त न करे।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के किसी धारक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक मात्रा में दूध या किसी दुग्ध उत्पाद के निर्माण, संचालन, उत्पादन या लेन-देन के लिए या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर से दूध एकत्र करने के लिए आवेदन किया जाता है, तो नियंत्रक ऐसी अतिरिक्त मात्रा के लिए केवल एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुमति देगा और वह भी उसके इस समाधान के बाद कि लोकहित में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के धारक को ऐसा करने की अनुमति देना आवश्यक है।

(3) नियंत्रक स्वतः आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारकों के किसी वर्ग या श्रेणी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के तहत अनुमत क्षमता से अधिक दूध या दूध उत्पाद की किसी भी वस्तु का निर्माण, संचालन, उत्पादन या सौदा करने की अनुमति दे सकता है, यदि वह सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है।

(4) केन्द्रीय सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नियंत्रक को परिस्थितियों और उप-अनुच्छेद के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश जारी कर सकती है।

11. दूध का संग्रहः-(1) पंजीकरण प्रमाणपत्र का प्रत्येक धारक केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र के तहत सौंपे गए दूध-शेड से ही दूध का संग्रह या खरीद करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट निकशेड के क्षेत्र के भीतर, उस क्षेत्र के दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दूध का संग्रह और खरीद की जाएगी, जहां तक ऐसी सहकारी समितियां दूध की आपूर्ति करने में सक्षम हैं।

(3) जहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी लोकहित में, दुग्धशाला में दूध की कमी के कारण या दुग्धशाला क्षेत्र के बाहर किसी क्षेत्र में अतिरिक्त तरल दूध की कमी के कारण इसे आवश्यक समझता है, वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक को ऐसी अवधि के लिए दूधशाला के बाहर से दूध एकत्र करने या खरीदने की अनुमति दे सकता है, जो नब्बे दिनों से अधिक न हो, जैसा कि उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) उपपैरा (3) के अनुसार दुग्धशाला के बाहर से दूध का संग्रह केवल सहकारी दुग्ध संघ या संघ के माध्यम से पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर और ऐसे किसी समझौते के अभाव में, उस मूल्य पर किया जाएगा जिस पर संबंधित सहकारी संघ या संघ किसी अन्य सहकारी संघ या संघ को दूध बेचता है।

(5) तरल दूध का उपयोग किसी भी दूध उत्पाद (यहां तक कि पंजीकरण प्रमाण पत्र में प्रदान की गई क्षमता की सीमा के भीतर) बनाने के लिए उस अवधि के दौरान नहीं किया जाएगा, जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।

(5) नियंत्रण आदेश के उपबंधों की एक बी. ए. ए. बेयर इरेडिंग कि कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रतिष्ठान, या प्रतिष्ठानों में प्रति दिन 10,000 लीटर से अधिक दूध या 500 टन प्रति दिन से अधिक ठोस दूध वाले दूध उत्पादों को संभालने की स्थापित क्षमता को संभालता है या संभालने के लिए सुसज्जित है, वह पंजीकरण प्रमाण पत्र/लाइसेंस प्राप्त किए बिना ऐसा नहीं कर सकता है, वह उत्पादन को संभाल सकता है और दूध या दूध उत्पादों के साथ केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत क्षमता की सीमा तक ही सौदा कर सकता है और वह भी केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दूध क्षेत्र के भीतर से, हालांकि पंजीकृत सीमा के तहत निर्दिष्ट दूध एकत्र करने और खरीदने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र और सार्वजनिक हित में निर्दिष्ट अवधि के लिए दूध क्षेत्र के बाहर से। नतीजतन, नियंत्रण आदेश थोक खरीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त मात्रा तक और लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र से दूध और दूध उत्पादों की खरीद को प्रतिबंधित करता है।

याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे दूध उत्पादक होने के नाते ऐसे व्यक्तियों को दूध बेचने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं जो चाहें क्योंकि वे केवल उन व्यक्तियों को बेच सकते हैं जो पंजीकृत हैं और जिनके पास अपने दूध वाले क्षेत्रों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र/लाइसेंस है। याचिकाकर्ताओं ने न तो अनुरोध किया है और न ही दूध की मात्रा का कोई विवरण दिया है जिसका वे उत्पादन कर रहे हैं। दूध के उत्पादकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, i.e. डेयरी किसान, दूध की बिक्री के संबंध में वास्तव में, राय नं। 1 और 2 अपने लिखित कथन में कहते हैं कि नियंत्रण आदेश दूध के उत्पादकों पर इसकी बिक्री के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। एकमात्र प्रतिबंध थोक खरीदारों पर है। ऐसे व्यक्ति जो प्रति दिन 10,000 लीटर से अधिक दूध या एक वर्ष में 500 टन दूध उत्पादों का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि प्रस्ताव सं. 1 और 2 कि दूध उत्पादक सहकारी समितियों या दुग्ध क्षेत्र में काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को छोटे व्यापारियों के साथ-साथ बड़ी इकाइयों को दूध बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को नियंत्रण आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वे इससे प्रभावित नहीं हैं या उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

(6) अन्यथा भी, भारत संघ ने अनुरोध किया है कि विवादित नियंत्रण आदेश जारी करने का उद्देश्य दूध की निरंतर और तैयार आपूर्ति सुनिश्चित करना है और दूध को दूध उत्पादों में परिवर्तित करने से तरल दूध की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित होती है और इसलिए, सरकार द्वारा आदेश जारी करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। नियंत्रण आदेश जारी करने का प्राथमिक उद्देश्य दूध के बड़े पैमाने पर दूध उत्पादों में परिवर्तन को प्रतिबंधित करना था। इस प्रकार, नियंत्रण आदेश जारी करने का उद्देश्य बड़े पैमाने पर समाज के हित में है।

(7) अधिनियम की धारा 3 के तहत नियंत्रण आदेश जारी किया गया है, जो स्पष्ट रूप से किसी भी आवश्यक वस्तु के उचित वितरण और नियंत्रण के लिए पर्याप्त दिशानिर्देश और शर्तों का अस्तित्व निर्धारित करता है। यह उन स्थितियों को विनियमित और निर्देशित करने का प्रयास करता है जिनके तहत थोक खरीदारों द्वारा दूध और दूध उत्पादों को खरीदा जा सकता है। प्रथम, यह विशुद्ध रूप से एक नियामक उपाय है। नियंत्रण आदेश के प्रावधानों को अधिनियम के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए जो आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करता है, अर्थात्, आवश्यक वस्तुओं का उचित वितरण सुनिश्चित करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3 को यह नहीं कहा गया है कि नियंत्रण आदेश या तो मनमाना है या अधिनियम के उद्देश्यों के साथ संबंध के बिना है।

(8) हालांकि, याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया था कि दूध या दूध उत्पाद अधिनियम के तहत परिभाषित आवश्यक वस्तु की परिभाषा के भीतर नहीं आते हैं। अधिनियम की धारा 2 (ए) (वी) "खाद्य तिलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थों" को शामिल करने के लिए "आवश्यक वस्तु" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। "खाद्य पदार्थ" शब्द की व्याख्या शीर्ष न्यायालय ने मेसर्स सतपाल गुप्ता और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (ए आई आर. 1982 एस.सी. 798.) में की थी, जहां उनके प्रभुता ने इस प्रकार कहा थाः-"खाद्य पदार्थ" का अर्थ किसी भी प्रकार का भोजन है। द शॉर्टर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (तीसरा संस्करण) कहता है कि 'भोजन' वह है जिसे कोई व्यक्ति जीवन और विकास को बनाए रखने के लिए प्रणाली में लेता है। वेबस्टर के थर्ड न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार, 'भोजन' का अर्थ है 'कार्बोहाइड्रेट, तथ्य, प्रोटीन और पूरक पदार्थों से युक्त सामग्री, जिसे किसी जीव के शरीर में लिया या अवशोषित किया जाता है ताकि विकास, मरम्मत और सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को बनाए रखा जा सके और जीव की सभी गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान की जा सके; कुछ ऐसी चीज जो पोषण या विकास या बनाए रखती है'। 'भोजन' शब्द के ये शब्दकोश अर्थ पोषण और निर्वाह के लिए मनुष्य द्वारा खाए जाने वाले भोजन तक ही सीमित नहीं हैं। उनके अनुसार, जीवन और विकास को बनाए रखने के लिए प्रणाली में क्या लिया जाता है या विकास को बनाए रखने के लिए किसी जीव के शरीर में क्या लिया जाता है, वह भोजन है।

"खाद्य पदार्थ" शब्द को फिर से वेलकम होटल और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (एआईआर 1983 एस.सी. 1015) के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में व्याख्या के लिए प्रस्तुत किया गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स ने इस प्रकार टिप्पणी कीः-"श्री. बी, कांता राव, जो कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, ने आग्रह किया कि राज्य सरकार पके हुए भोजन के संबंध में कोई मूल्य नियंत्रण उपाय जारी करने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, जो आवश्यक वस्तुओं के संबंध में आदेश जारी करने की शक्तियां प्रदान करता है, पके हुए भोजन के संबंध में कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 केंद्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति और व्यापार को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए या उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए एक आदेश द्वारा शक्ति प्रदान करती है। आवश्यक वस्तु की कीमत निर्धारित करने की शक्ति में निहित है। अधिनियम की धारा 3 द्वारा और जो धारा 3 (1) में निहित है, उसका उपयोग धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा किया जाता है जो यह उपबंध करता है कि धारा 3 (1) के अधीन किया गया आदेश-(ग) उस कीमत को नियंत्रित करने के लिए, जिस पर आवश्यक वस्तु खरीदी या बेची जा सकती है, उपबंध कर सकता है। धारा (2) के खंड (ए) में 'आवश्यक वस्तु' को उन वस्तुओं में से किसी के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें खाद्य तेलहन और तेलों सहित (v) खाद्य पदार्थ शामिल हैं। निवेदन यह है कि अपनी व्युत्पत्ति और व्याकरणिक अर्थों में 'खाद्य पदार्थ' का अर्थ होगा कच्चा खाद्य पदार्थ या गेहूं, चावल, ज्वार बाजार, मक्का आदि जैसे खाद्य पदार्थ। लेकिन पका हुआ भोजन नहीं जो खराब होने वाला हो। हम 'खाद्य पदार्थ' अभिव्यक्ति को सीमित अर्थ देने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। यदि चावल या गेहूं जैसे कच्चे खाद्य पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित करने की शक्ति धारा 3 द्वारा दी गई है, तो हम उस शक्ति के लिए इस तरह के कच्चे खाद्य पदार्थों से बने आर्टिकल्स की कीमतों को विनियमित करने की शक्ति को अपने दायरे में नहीं समझने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। एक्सवी दबाव जैसे 'खाद्य फसलें', 'मसाले' और 'मसाले' खाद्य पदार्थों की विभिन्न प्रजातियों को इंगित करते हैं लेकिन सामान्य अभिव्यक्ति 'खाद्य पदार्थ' की व्याख्या प्रजातियों और मसालों को भी शामिल करने के लिए की गई थी। बॉम्बे राज्य बनाम

वीरकुमार गुलाबचंदशाह, 1952 एससीआर 877: (एआईआर.1952 एससी 335) इस न्यायालय ने आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 2 (ए) के साथ पठित 1944 के प्रजाति (अग्रिम अनुबंध निषेध आदेश) अधिनियम, 1946 के खंड (3) में 'खाद्य पदार्थ' अभिव्यक्ति का अर्थ निकाला। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी में 'खाद्य पदार्थ' की परिभाषा और इस विषय से संबंधित कुछ निर्णयों की जांच करने के बाद, इस अदालत ने कहा कि 'खाद्य और खाद्य पदार्थ' अभिव्यक्तियों का उपयोग व्यापक और संकीर्ण दोनों अर्थों में किया जा सकता है कि परिस्थितियां और पृष्ठभूमि ही किसी भी मामले में उचित है। आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम के उद्देश्य और अंतर्निहित अधिनियमन के इरादे की जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि हल्दी समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है तो इसे 'खाद्य पदार्थ' अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाना चाहिए। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 'खाद्य पदार्थ' अभिव्यक्ति का उपयोग 1946 के अधिनियम में व्यापक अर्थों में किया गया है। यह स्मरणीय है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1959 को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तथा व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण के लिए अधिनियमित किया गया था।

इसलिए, 1955 में 'खाद्य पदार्थ' अभिव्यक्ति. अधिनियम को एक ही संरचना प्राप्त होनी चाहिए। अगर ऐसा है, तो 'खाद्य पदार्थों' की व्याख्या में स्पष्ट रूप से पका हुआ भोजन भी शामिल होना चाहिए।

इसके अलावा अभिव्यक्ति 'भोजन' को आम तौर पर किसी जीव के शरीर में अवशोषित या ली गई पोषक सामग्री के रूप में समझा जाता है जो विकास, कार्य या मरम्मत के उद्देश्यों और वैध प्रक्रिया के रखरखाव के लिए कार्य करती है। मनुष्य जो खाते हैं उसे भोजन कहा जाता है और जानवर जो खाते हैं उसे पशु आहार कहा जाता है। इस अंतर को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अभिव्यक्ति 'खाद्य पदार्थ' दो अभिव्यक्तियों से बना है, 'भोजन प्लस' सामान '। दूसरे शब्दों में, जो सामान भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है वह खाद्य पदार्थ होगा। इसलिए, खाद्य पदार्थ वह है जिसे जीवन और विकास को बनाए रखने और ऊतक के अपशिष्ट की आपूर्ति के लिए प्रणाली में लिया जाता है। यदि कच्चे खाद्य पदार्थ को मनुष्यों द्वारा उपभोग योग्य बनाने की दृष्टि से खाना पकाने की प्रक्रिया से इसकी स्थिति में बदलाव आता है, तो व्युत्पन्न फिर भी खाद्य पदार्थ है। यदि कच्चा चावल खाद्य पदार्थ है, तो क्या चावल को पानी में उबालने पर खाद्य पदार्थ नहीं रह जाता है। चूँकि चीनी एक झोपड़ी में दुर्घटनावश आग लगने से जहाँ सूअर थे, उन्होंने कच्चे भोजन के स्थान पर पका हुआ भोजन खाने का लाभ सीखा, श्री कांता राव का समर्पण हमें सदियों पीछे ले जाएगा और आधुनिक पाक कला के लिए एक अपमान होगा। और 'खाद्य फसल' 1955 के अधिनियम में परिभाषित एक और अभिव्यक्ति है। इसलिए, 1955 के अधिनियम में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'खाद्य पदार्थ' पके हुए भोजन को समझती है। इसलिए श्री कांता राव के तर्क को नकार दिया जाना चाहिए।"

इस प्रकार, दूध और दूध उत्पाद पूरी तरह से 'खाद्य पदार्थ' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि वेलकम होटल मामले में शीर्ष अदालत द्वारा आधिकारिक रूप से व्याख्या की गई है

(9) याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि दूध और दुग्ध उत्पाद "कृषि" शब्द के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार दूध और दुग्ध उत्पाद भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्टि 14 के अंतर्गत आते हैं और इसलिए, यह केवल राज्य सरकार थी जिसे बिक्री, खरीद, संचालन आदि को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण आदेश जारी करने की शक्ति थी। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया विवादित नियंत्रण आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III में प्रविष्टि 23 इस प्रकार हैः –

(10) खाद्य तेलहन और तेल सहित खाद्य पदार्थ,

ये वही शब्द हैं जिनका उपयोग अधिनियम की धारा 2 (ए) (वी) में किया गया है। चूँकि शीर्ष न्यायालय द्वारा यह अधिकृत रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि दूध और मिक उत्पादों को खाद्य पदार्थों की विस्तृत अवधि द्वारा कवर किया जाएगा, "ये भी संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची ।।। में प्रविष्टि 33 द्वारा कवर किए जाएंगे। इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 246 सातवीं अनुसूची में विभिन्न सूचियों के संबंध में संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अनुच्छेद 246 इस प्रकार कहता हैः -

"246. संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय।(1) खंड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में निर्दिष्ट) में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी संसद और खंड (1) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान-मंडल को भी सातवीं अनुसूची (इस संविधान में 'समवर्ती सूची' के रूप में निर्दिष्ट) की सूची ।।। में प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधान-मंडल को सातवीं अनुसूची (संविधान में, जिसे 'राज्य सूची' कहा गया है) में सूची-2 में प्रगणित मामलों में से किसी के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की अनन्य शक्ति है।

(4) संसद को भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग के लिए, जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, किसी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, इसके बावजूद कि ऐसा विषय राज्य सूची में प्रगणित है।

संक्षेप में, अनुच्छेद का सार यह है कि संसद के पास सूची । के मामलों के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण और अनन्य शक्ति है और सूची ।।। के मामलों के संबंध में कानून बनाने की भी शक्ति है। राज्य। दूसरी ओर, विधायिका के पास सूची । और ।।। में आने वाले मामलों को छोड़कर सूची ।। के मामलों के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है और सूची ।।। में शामिल मामलों के संबंध में समवर्ती शक्ति है। केंद्र सरकार विवादित आदेश जारी करने में सक्षम थी)।

ऊपर बताए गए कारणों से, रिट याचिका विफल हो जाती है और शूल्क से छूट है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्या न्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकाश जिंदल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरूग्राम, हरियाणा